न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी

अपील संख्या– 06/21

पीठासीन अधिकारी–रवि वर्मा

तारीख रज्जू–02/03/21

1 दिलीप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
2 भवानी सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
3 शक्ति सिंह पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
4 सज्जन कवंर बेवा अर्जुन सिंह उम्र 80वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
5 पुष्पा पुत्री अर्जुन सिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
6 गायत्री पुत्री अर्जुन सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
7 आशा पुत्री अर्जुन सिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
8 सावित्री पुत्री अर्जुन सिंह उम्र 38 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
9 लक्ष्मी पुत्री अर्जुन सिंह उम्र 36 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
10 उपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 57वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
11 भूपेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह उम्र 48वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
12 रूकमणी पुत्री नारायण सिंह उम्र 61 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
13 निर्मला पुत्री नारायण सिंह उम्र 54 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
14 पृथ्वीसिंह पुत्र औंकार सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
15 राघवेन्द्रसिंह पुत्र औकारसिंह उम्र 47 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
16 हनुमान सिंह पुत्र बाबूसिंह उम्र 34 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
17 भीमसिंह पुत्र बाबूसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
18 राजेन्द्र सिंह पुत्र उमरावसिंह उम्र 66 वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
9 सुरेन्द्रसिंह पुत्र उमरावसिंह उम्र 66वर्ष जाति राजपूत निवासी भालपुर त0वजीरपुर–मृतक
9/1 महेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर त0 वजीरपुर।
9/2 धरमवीरसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
9/3 योगेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।
9/4 दीप कंवर पुत्री सुरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर तह0 वजीरपुर।

———अपीलान्ट

बनाम

भारत सिह पुत्र श्रीयासिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर तहसील वजीरपुर।
लाखन सिंह पुत्र श्रीयासिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर तहसील वजीरपुर।
विजयसिंह पुत्र श्रीयासिंह जाति राजपूत निवासी भालपुर तहसील वजीरपुर।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

रेस्पोण्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांक– 13/05/2024

निर्णय अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम भालपुर के नामान्तकरण संख्या 518 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार वजीरपुर ने ग्राम भालपुर में स्थित भूमि ख0नं0 247, 219,235,237,248,249,731 का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 518 निर्णय दिनांक 24.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पो0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 तथा मूल बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए दौराने बहस कथन किया कि अपीलार्थीगण जगमाल सिंह व भगवान सिंह एक ही खानदान के व्यक्ति है। भारत सिंह ,लाखन सिंह व विजय सिंह रेस्पोण्डेटन का जगमाल सिंह व भगवान सिंह से कोई संबंध नही है। मीमों ऑफ दी अपील में अपीलाण्टस ने अपना सजरा पेश किया है, उस सजरें में दर्शाया है कि जगमाल सिंह व भगवान सिंह अपीलार्थीगण के बुजुर्ग उमराव सिंह के भाई होते है तथा जगमाल सिंह व भगवान सिंह के लाऔलाद फौत हो जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुच्छेद 2 के अनुसार अपीलार्थीगण ही एकमात्र वारिस है, रेस्पोडेन्ट भारतसिंह, विजय सिंह व लाखन सिंह का जगमाल सिंह व भगवान सिंह से किसी प्रकार का ताल्लोक व वास्ता नहीं है ना रहा है नाही भूमि मुतदाविया से किसी प्रकार का संबध है ना रहा है। मृतक जगमाल सिंह व भगवान सिंह अपीलार्थीगण के साथ रहते थे व उनकी देखभाल सेवा चाकरी अपीलार्थी ही करते थे। भगवान सिंह की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को अर्जुन सिंह व राजेन्द्र सिंह तथा जगमाल सिंह की अस्थियों को नारायण सिंह जी गंगाजी लेकर गए व दाह संस्कार बारह ब्राहम्ण भी अपीलार्थी ने ही किए। जगमाल सिंह व भगवान सिंह भतीजे लगते है इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की केटेगरी के अनुसार अपीलार्थी मृतक के वारिसान है। पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच के तथा बिना अपीलार्थीगण को नोटिस दिए बिना किसी जांच के इकतरफा कार्यवाही की है। जिस कारण उक्त विवादित नामान्तकरण निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

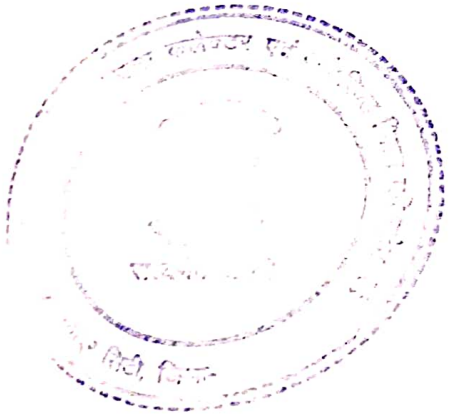

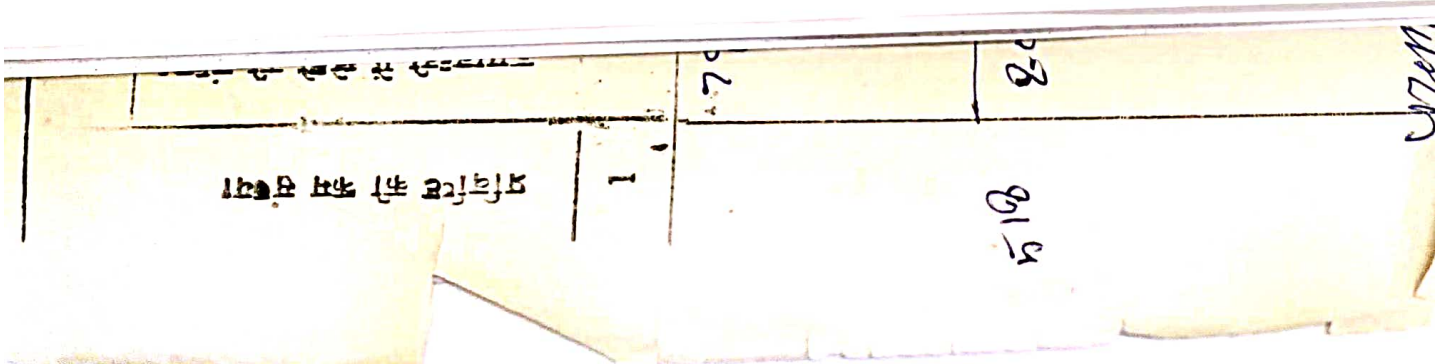

अपीलाण्टस के कब्जे काश्त में रेस्पोण्डेन्ट द्वारा मानेमदालखक करने पर दिनांक 18.02.2021 को जानकारी में आया और पटवारी हल्का ने बताया तत्पश्चात् अपनी जानकारी में दिनांक 25.02.2021 को पेश कर दी गई जो कि योग जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है इसके ताईद में अपीलाण्टस द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश कर दिया इस प्रकार श्रीमान् जी डिले कण्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाने हेतु अपीलान्ट के अधिवक्ता ने निवेदन किया है। रेस्पोण्डेन्ट स्वयं ने अपने जबाब में स्वीकार किया है कि भगवान सिंह व जगपाल सिंह की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए गांववासी व रिश्तेदार लेकर गए थे क्यों कि उस समय हम बच्चे थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 व एडमिशन की धारा 17 से रेस्पोण्डेन्ट अपने कथन से एस्टोप्ड है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि अपीलाण्टस का भगवान सिंह व जगपाल सिंह से संबंध रहा है।

अपीलाण्टस ही एकमात्र वारिस होने के तहत में अपनी जागा बडवा गंगागुरू का शपथ पत्र पेश किया है वंशवृक्षावली पेश की है। जिसकी ताईद जागा द्वारा की गई है व बिजली का बिल पेश किया है, जिसमें बिजली का कनेक्शन भी अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज है, लगान रसीद पेश की है। संरपच द्वारा प्रमाणित सजरा पेश किया गया है व अन्य दस्तावेज भी पेश किए गए है, साथ ही वकील अपीलार्थी ने निम्न नजीरे पेश की है। आर0बी0जे0 1998 पेज 380, आ0बी0जे0 1997 पेज 182, आर0आर0सी0 2001 पेज 436 राज0 हाई कोर्ट, आर0आर0सी0 2001 पेज 348 डी0बी0 , आर0आर0सी0 2001 पेज 276, आर0आर0सी0 2001 पेज 250, आर0आर0सी0 2001 पेज 595, 1996 आर0बी0जे0 पेज 255, आर0आर0टी0 2001 पेज 1304, आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 53, 2018 आर0बी0जे0 पेज 42एस0सी0 उक्त नजीरों से मै सहमत नहीं हूँ। रेस्पोण्डेन्ट द्वारा पेश दस्तावेज मीमों ऑफ दी अपील से रिलीवेन्ट नही है क्यों कि अपीलाण्टस ने अपनी मीमों ऑफ दी अपील में जिन तथ्यों को दर्ज किया है उसकी ताईद में अपीलाण्टस ने मय शपथ पत्र वंशवृक्षावली बडवा जागा पेश की है। जिसको रेस्पाण्डेन्ट ने स्वीकार किया है विरूद्ध में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है बल्कि रेस्पोण्डेन्ट ने अपील आपत्ति जो पेश की है उसमें भी अपने पेज नं0 3 पर स्वीकार किया है कि अपीलाण्टस मृतक भगवान व जगपाल सिंह के रिश्तेदार लगते है, इस प्रकार अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोण्डेन्ट ने जो जमाबंदिया पेश की है इस अपील से रिलीवेन्ट नहीं है इसलिए रेस्पोण्डेन्ट द्वारा पेश आदेश 41 नियम 27 खारिज फरमाया जावे,साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 518 निर्णय दिनांक 24.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

वकील रेस्पोडेन्टस् ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा गलत आधारों पर उक्त अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा मृतक जगमालसिंह व भगवानसिंह पुत्रान वेरीसाल सिंह को स्वयं के परिवार का होना गलत दर्ज किया है। जबकि रेस्पोडेन्टान द्वारा रेवन्यु रिकोर्ड से अपनी स्वयं की व मृतक भगवान सिंह व जगमाल सिंह की वंश वृक्षावली साबित है। ग्राम भालपुर की खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2008 ख0नं0 304,310,311,312,313,315,317 में सिरियासिंह वल्द फुलसिंह हिस्सा 1/2 व भगवानसिंह , जगमोलसिंह पुत्रान वेरीसाल सिंह हिस्सा 1/ 2 सहखातेदार दर्ज है तथा खतौनी संख्या 4 सम्वत् 2008 में भी जगमालसिंह वल्द वेरीसाल सिंह हिस्सा 1/2 सिरीयासिंह वल्द फूलसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज है रेस्पोडेन्टान के पिता फूलसिंह के पिता का नाम लल्लूसिंह था व मृतक भगवानसिंह व जगमालसिंह के पिता हरनाथ आपस में सगे भाई थे लल्लूसिंह व हरनाथसिंह के पिता का नाम शिवनाथ सिंह था इसलिये ही रेवन्यु रिकोर्ड मृतक भगवान सिंह व जगमालसिंह तथा रेस्पोडेन्टान का शामिल में ही चला आ रहा है। अपीलार्थीगण से मृतक भगवानसिंह व जगमालसिंह के परिवार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है, अपीलार्थीगण द्वारा गलत वंश वृक्षावली बनाकर यह अपील पेश की है प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दिनांक 24.11.2010 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत दिनांक 08.01.2007 व प्रमाण पत्र दिनांक 12.01.2023 से भी मृतक भगवनासिंह व जगमालसिंह व रेस्पोडेन्टान एक ही पूर्वज की सन्तान होना साबित है। उत्तराधिकार से सम्बन्धित विवादों को तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। रेवन्यु कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा जागा से व गंगाजी पण्डा के जो प्रमाण पत्र पेश किये है वे फर्जी है जिनका कोई कानूनी महत्व नहीं है। रेस्पोडेन्टान द्वारा रेवन्यु रिकोर्ड से अपनी व मृतक जगमालसिंह ,भगवानसिंह एक ही परिवार के है साबित किया है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने 2024(1) डीएनजे **(Rev)** पेज नं0 175 नजीरे पेश की है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील गलत आधारों पर मियाद बाहर पेश की है जबकि उक्त नामान्तकरण दौराने ाजस्व अभियान मजमें ए आम में तस्दीक किया गया था उस समय अपीलार्थीगण भी भियान में मौजूद थे उनकी मौजूदगी में ही उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया था सकी उन्हे पूर्ण जानकारी थी उस समय भी अपीलार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं गई। लेकिन ग्यारह वर्ष के लम्बे अरसे बाद यह अपील पेश की है। इसलिये धारा मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है, साथ ही वकील अपीलार्थी

मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाने हेतु निवेदन किया है तथा वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलार्थीगण द्वारा गलत वंश वृक्षावली बिना किसी आधार के बनाकर यह अपील पेश की है। जबकि अपीलार्थीगण व उनके परिवार का रेस्पोडेन्टान के परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्टान के बाबा फूलसिंह के पिता लल्लूसिंह व मृतक जगमालसिंह ,भगवान सिंह के पिता वेरीसाल सिंह के पिता हरनाथसिंह आपस में सगे भाई थे जिनके पिता का नाम शिवनाथसिंह था उमराव पुत्र गोरधनसिंह के परिवार से रेस्पोडेन्टान के परिवार व मृतक जगमालसिंह, भगवान सिंह का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। रेस्पोडेन्टान दोनों ही पक्षों के रेवन्यु रिकोर्ड की नकले पेश कर रहे है जो सत्य प्रतिलिपियां है उनके असत्य होने का कोई कारण नहीं है, साथ ही वकील रेस्पोडेटन ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार करते हुए उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जागा की बह एवं जागा द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया है। जागा गौरीश बाबू द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में गौरीश बाबू ने पैरा सं0 6 में अंकित किया है कि उमराव सिंह के अर्जुन सिंह, नारायण सिंह, ओकार सिंह, बाबूसिंह ,राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह (पुत्र) है तथा पैरा नं0 8 में अंकित किया है कि पैरा 1 लगायत 7 मेरे निजी जानकारी में मेरी बही–पोती के अनुसार सही व सत्य है। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बही की छाया प्रति में ओंकार सिहं, बाबू सिंह, सुरेन्द्र सिंह का नाम अंकित नहीं है। वकील रेस्पोडेन्ट ने दौरान बहस अवगत कराया कि अपीलान्ट को वारिसान साबित करने के लिए सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाना चाहिए था अथवा सक्षम राजस्व न्यायालय में विवादित भूमि के संबंध में उद्घोषणा का दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। उक्त अपील में वकील अपीलान्ट द्वारा जागा की बही ,शपथ पत्र व सरंपच द्वारा प्रमाणित वंशवृक्षावली के अलावा अन्य कोई ऐसा राजस्व रिकोर्ड संबन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलान्ट जगपाल सिंह, भगवान सिंह पि0 वेरीसाल सिंह के ही वारिसान हो ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी ने अंकित किया है कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर सिटी

नामान्तकरण सं0 518 दिनांक 24.11.2010 ग्राम भालपुर की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण दिनांक 14.02.2021 को भूमि खसरा नम्बर 219,235,237,248,249,731 ग्राम भालपुर तहसील वजीरपुर की फराल की सार संभाल कर रहे थे कि अचानक प्रत्यर्थीगण मौके पर आ गये और कहने लगे कि यह भूमि हमने अपने नाम लगवा ली है, तब अपीलार्थीगण ने हल्का पटवारी से जानकारी कर दिनांक 18.02.2021 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तब जानकारी होना बताया है। जबकि पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेज जागा गौशेश बाबू की बही की सत्यप्रति दिनांक 05/06/2020 , गौशेश बाबू द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 05/06/2020, ग्राम पंचायत भालपुर द्वारा प्रस्तुत वंश वृक्षावली दिनांक 04/06/2020 तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 जिसमें जारी करने की दिनांक 02–Jun–2020 अंकित है। उक्त दस्तावेजो व जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 जो अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत की गई है। उससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को उक्त आदेश की पूर्व से ही सूचना थी तथा अपीलार्थी द्वारा भ्रामक तथ्यों को अंकित करते हुए दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पाया जाता है। नामान्तकरण सं0 518 दिनांक 24.11.2010 की अपील न्यायालय हाजा में अपीलार्थी द्वारा 11 वर्ष के अधिक समय पश्चात् पेश की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी